बिहार सरकार
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

बिहार महादलित विकास मिशन

पाँचवा तल्ला, भूमि विकास बैंक, बुद्ध मार्ग, पटना फोन–(0612) 2215082, 2230038
इमेल – bmvm.hq@bmvm.org, वेबसाइट – www.mahadalitmission.org

भाड़े पर वाहन हेतु निविदा आमंत्रण

बिहार महादलित विकास मिशन, पटना को वर्ष 2016–17 के लिए मिशन के विभागीय पदाधिकारियों के उपयोग हेतु भाड़े पर वाहन आपूर्त्ति हेतु मासिक किराये पर पंजीकृत ट्रेवल एजेंसी / वाहन मालिक से निविदा आमंत्रित की जाती है।

तकनीकी योग्यता –

1 वाहन वाणिज्यिक, नये मॉडल का एवं संगत विभाग के मानकों के अनुरुप होना चाहिए।

2 सरकारी विभाग में भाड़े पर वाहन चलाने का कम–से–कम तीन वर्षों का अनुभव।

3 वाहन का अद्यतन रोड टैक्स, सर्विस कर आदि अन्य संबंधित कर जमा होना चाहिए।

4 पंजीकृत ट्रेवल एजेंसी / वाहन मालिक का पैन नम्बर होना चाहिए।

5 पंजीकृत ट्रेवल एजेंसी को ESI/PF से निबंधित होना चाहिए।

6 ट्रेवल एजेंसी / वाहन मालिक के स्थापना का पंजीकृत प्रमाण पत्र होना चाहिए।

7 फर्म / संस्थान का सेवा कर निबंधन अनिवार्य है।

8 तकनीकी निविदा में निर्धारित शर्त्तों को पूरा करने वाले निविदादाताओं के ही वित्तीय निविदा पर विचार किया जायेगा।

वित्तीय–

निविदा के वित्तीय लिफाफे में गाड़ी का नाम, मॉडल एवं पंजीयन संख्या के साथ दर का उल्लेख प्रति वाहन प्रति महीने (2000 किलो मीटर तक सर्विस टैक्स सहित) होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर वाहन चलती है तो प्रति किलो मीटर दर अंकित होना चाहिए।

अन्य शर्ते –

1 फर्म / संस्थान के नाम से कम से कम सात वाहनों का वाणिज्यिक निबंधन, बिहार में होना अनिवार्य है एवं वाणिज्यिक निबंधित गाड़ी उपलब्ध कराना फर्म / संस्थान की जिम्मेवारी होगी।

2 फर्म / संस्थान का आयकर रिटर्न एवं सेवाकर भुगतान विगत एक वर्ष का विहित प्रपत्रों में निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

3 गाड़ी अच्छी हालत में होनी चाहिए तथा वाहन 2012 से पुरानी नहीं होना चाहिए।

4 वाहन का रख–रखाव ईंधन आदि की जिम्मेवारी फर्म / संस्थान की होगी।

5 वाहन का दुर्घटनाग्रस्त होने पर वाहन एवं ड्राईवर को होने वाला क्षतिपूर्त्ति फर्म / संस्थान की होगी।

6 भाड़े पर वाहन रखने हेतु देय दर प्रपत्र में पठनीय, स्वच्छ अंकित प्रति कराकर निविदादाता को देना होगा।

7 सेवा में टूट होने पर उस दिन की समानुपातिक राशि के अलावे 500 / – रू0 प्रतिदिन की दर से दण्ड राशि की कटौती फर्म / संस्थान के द्वारा दिये गये दावे से की जायेगी।

E:Alok:Tender for Vehicle

8 निविदादाता द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र दायर कर प्रमाण पत्र देना होगा कि न्यायालय में उस पर न कोई वाद लम्बित है और न ही न्यायालय द्वारा किसी कानून के तहत उसे दण्डित किया गया है तथा निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं किया गया है।

9 वाणिज्य निबंधित गाड़ी उपलब्ध कराना फर्म/संस्थान की जिम्मेवारी होगी।

10 अतिविशिष्ट श्रेणी के व्यक्तियों हेतु नीली बत्ती/ Dressed ड्राईवर की व्यवस्था करना फर्म/संस्थान की जिम्मेवारी होगी।

11 जब भी जितनी संख्या में गाड़ी की माँग की जायेगी फर्म/संस्थान को उतनी ही संख्या में निर्धारित समय के अंदर माँग के अनुरूप गाड़ी उपलब्ध कराना होगा।

12 फर्म/संस्थान को जमानत की राशि 10,000 (दस हजार मात्र) रूपये का डिमांड ड्राफ्ट के रूप में मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, बिहार, पटना के पदनाम से देय हो, तकनीकी निविदा के साथ जमा करना होगा।

13 निविदादाता के उपरोक्त सारे आवश्यक कागजात देना अनिवार्य है, बिना कागजात के निविदा निरस्त समझा जायेगा।

14 वाहन आवश्यकतानुसार सप्ताह के सातों दिन उपलब्ध कराना पड़ सकता है।

15 निविदा को बिना सूचना एवं कारण बताए रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

मिशन को निविदा रद्द करने/अवधि विस्तार/दर वार्ता करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

निविदा बंद लिफाफे में एवं मुख्य लिफाफे के उपर **भाडे पर वाहन हेतु निविदा** लिखा एवं **(1)** तकनीकी निविदा एवं **(2)** वित्तीय निविदा अलग–अलग बंद लिफाफे के साथ होना चाहिए।

निविदा कार्यालय अवधि में हाथो–हाथ एवं कुरियर के माध्यम से **मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, पाँचवा तल्ला, भूमि विकास बैंक, बुद्ध मार्ग, पटना** के पता पर जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक : 28/06/2016 समय 3.00 बजे अपराह्न है। बिलंब से भेजे गए निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

14/6/16

मिशन निदेशक

E:Alok:Tender for Vehicle